

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 95/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नाथुसिंह आत्मज मनोहरसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरसिंह आत्मज रायसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. चतरसिंह आत्मज गोकलसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गणपतसिंह आत्मज गोकलसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. प्रेमसिंह आत्मज तेजसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. चावण्डसिंह आत्मज हीमसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. शंकरसिंह आत्मज लालसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. मुलसिंह आत्मज रायसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. लक्ष्मणसिंह आत्मज तेजसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. अम्बालाल आत्मज पन्ना खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. जोधसिंह आत्मज पदमसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट**

उपस्थित

1. हरिष टेलर -

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1848 रकबा 0.02 हैक्ट., आराजी संख्या 1849 रकबा 0.25 हैक्ट., आराजी संख्या 1850 रकबा 0.02 हैक्ट., आराजी संख्या 1859 रकबा 0.19 हैक्ट., आराजी संख्या 1865 रकबा 0.26 हैक्ट., आराजी संख्या 1869 रकबा 1.97 हैक्ट., आराजी संख्या 3150/1785 रकबा 1.34 हैक्ट., आराजी संख्या 3157/1794 रकबा 0.27 हैक्ट., आराजी संख्या 3159/1805 रकबा 0.40 हैक्ट., आराजी संख्या 3159/1810 रकबा 0.43 हैक्ट., आराजी संख्या 3160/1819 रकबा 0.23 हैक्ट., आराजी संख्या 3161/1827 रकबा 0.07 हैक्ट., आराजी संख्या 3162/1847 रकबा 0.71 हैक्ट., आराजी संख्या 3163/1851 रकबा 0.57 हैक्ट., आराजी संख्या 3164/1855 रकबा 0.09 हैक्ट., आराजी संख्या 3165/1856 रकबा 0.12 हैक्ट., आराजी संख्या 3231/3155 रकबा 0.58 हैक्ट., कुल किता 17 कुल रकबा 7.52 हैक्ट. भूमि खाता संख्या 192 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मवेशी वगैरा चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 10 पार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ कें पड़ौसी होन से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाया गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 13.09.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी करवाने से इंकार हो




गए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 26.09.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 10 के विरुद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1848 रकबा 0.02 हैक्ट., आराजी संख्या 1849 रकबा 0.25 हैक्ट., आराजी संख्या 1850 रकबा 0.02 हैक्ट., आराजी संख्या 1859 रकबा 0.19 हैक्ट., आराजी संख्या 1865 रकबा 0.26 हैक्ट., आराजी संख्या 1869 रकबा 1.97 हैक्ट., आराजी संख्या 3150/1785 रकबा 1.34 हैक्ट., आराजी संख्या 3157/1794 रकबा 0.27 हैक्ट., आराजी संख्या 3159/1805 रकबा 0.40 हैक्ट., आराजी संख्या 3159/1810 रकबा 0.43 हैक्ट., आराजी संख्या 3160/1819 रकबा 0.23 हैक्ट., आराजी संख्या 3161/1827 रकबा 0.07 हैक्ट., आराजी संख्या 3162/1847 रकबा 0.71 हैक्ट., आराजी संख्या 3163/1851 रकबा 0.57 हैक्ट., आराजी संख्या 3164/1855 रकबा 0.09 हैक्ट., आराजी संख्या 3165/1856 रकबा 0.12 हैक्ट., आराजी संख्या 3231/3155 रकबा 0.58 हैक्ट., कुल किता 17 कुल रकबा 7.52 हैक्ट. भूमि खाता संख्या 192 पर स्थित हैं। उक्त आराजियात की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 400/- अक्षरे चार सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 3500/- अक्षरे तीन हजार पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।

  
गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा